उत्तर प्रदेश शासन

राजस्व अनुभाग-1

संख्या-19/325/एक-1-2016-5(51)/2015

लखनऊ: दिनॉक: 25 अप्रैल, 2016

अधिसूचना

जिलाधिकारी, फिरोजाबाद के पत्र संख्या-516/भूमि0 व्यवस्था-5-पुनर्ग्रहण, दिनॉक 04.12.2015 द्वारा अवगत कराया गया है कि नवसृजित तहसील सिरसागंज के आवासीय/अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु संयुक्त रूप से एक ही स्थान पर ग्राम सभा की 05 एकड़ भूमि उपलब्ध नहीं है तथा काफी प्रयास के बाद कोई भी कृषक सहमति के आधार पर इतनी भूमि देने को तैयार नहीं है। ऐसी स्थिति में कस्बा सिरसागंज के नजदीक ग्राम भावली में चारागाह की भूमि जो एन0एच0-02 से मात्र 400 मीटर दूर कस्बा सिरसागंज को जाने वाली मुख्य सड़क पर स्थित है, तथा कस्बे के नजदीक होने से जनसामान्य के लिये सुविधानजक भी है। इसी क्रम में जिलाधिकारी, फिरोजाबाद के पत्र संख्या-878/भूमि0 व्यवस्था-5-पुनर्ग्रहण, दिनॉक 11.03.2016 द्वारा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत विनिमय एवं श्रेणी परिवर्तन का प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया गया है।

2. जिलाधिकारी, फिरोजाबाद के प्रस्ताव से स्पष्ट है कि कस्बा सिरसागंज के समीप ग्राम पंचायत/स्थानीय प्राधिकरण में निहित उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 59 की उपधारा (2) के खण्ड (एक), (दो), (तीन), (चार), (पांच) तथा (छः) में वर्णित संयुक्त रूप से एक ही स्थान पर भूमि उपलब्ध नहीं है। अतः अपरिहार्य परिस्थितियों के दृष्टिगत जनहित में उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 77 की उपधारा (2) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल नीचे दी गयी अनुसूची में उल्लिखित तालिका-1 में वर्णित चारागाह की भूमि का श्रेणी परिवर्तन कर, उक्त भूमि का पुनर्ग्रहण करते हुए तथा तालिका-2 में उल्लिखित बंजर, ऊसर एवं नवीन परती की भूमि को 77 की उपधारा (1) में चारागाह दर्ज किये जाने हेतु उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 101 के अधीन विनिमय की अनुमति प्रदान करते हुए तालिका-1 में उल्लिखित भूमि को नवसृजित तहसील सिरसागंज के आवासीय/अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु कलेक्टर, फिरोजाबाद के निवर्तन पर रखते है।

अनुसूची

तालिका-1

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गॉव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल (हे0 में)	विवरण/प्रयोजन
1	2	3	4	5	6	7	8
1	फिरोजाबाद	सिरसागंज	सिरसागंज	भावली	76मि.	1.065	कलेक्टर, फिरोजाबाद के निवर्तन पर नवसृजित
2					78	0.458	

shasnadesh.up.nic.in

3					79	0.405	तहसील सिरसागंज के

-2-

4					80	0.073	अवासीय/अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु
5					81	0.024	
				योग	कुल 05 गाटा	2.025 हे0	

<u>तालिका-2</u>

क्र0 सं0	जिला	तहसील	परगना	गॉव	गाटा संख्या	क्षेत्रफल (हे0 में)	विवरण/प्रयोजन
1	2	3	4	5	6	7	8
1	फिरोजाबाद	सिरसागंज	सिरसागंज	भावली	71	0.036	चारागाह दर्ज किये जाने हेतु।
2					126	0.130	
3					132	0.278	
4					215	0.255	
5					243	0.085	
6					249	0.053	
7					52	0.049	
8					90	0.041	
9					91	0.097	
10					326	0.198	
11					164मि.	0.803	
				योग	कुल 11 गाटा	2.025 हे0	

3. कलेक्टर, फिरोजाबाद द्वारा इस आदेश की प्रतियॉ कलेक्टर न्यायालय के सूचना पट पर तहसील भवन तथा सम्बन्धित ग्राम में किसी सहज दृश्य स्थान पर चस्पा करायें तथा प्रत्येक

shasnadesh.up.nic.in

स्थान पर उक्त आदेश के चस्पा होने की तिथि अंकित करते हुए अनुपालन आख्या आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ एवं राजस्व अनुभाग-1/राजस्व अनुभाग-5, उत्तर प्रदेश शासन को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

-3-

4. कलेक्टर, फिरोजाबाद को आदेशित किया जाता है कि चारागाह भूमि के श्रेणी परिवर्तन तथा विनियम की गयी भूमि को अधिकार अभिलेख (खतौनी) और मानचित्र में तदनुसार संशोधन की कार्यवाही अविलम्ब सुनिश्चित की जायेगी।

5. उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 से शासित तालिका-1 में उल्लिखित भूमि कुल 05 गाटा रकबा 2.025 हे0 का पुनर्ग्रहण नि:शुल्क किया जा रहा है। प्रश्नगत भूमि कलेक्टर, फिरोजाबाद के निवर्तन पर रखी जायेगी।

6. उक्त पुनर्ग्रहीत भूमि का उपयोग नवसृजित तहसील सिरसागंज के आवासीय/अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु ही किया जायेगा। अन्य किसी प्रयोजन हेतु भूमि का उपयोग नहीं किया जायेगा।

7. उक्त सभी शर्तो एवं प्रतिबन्धों का अनुपालन कलेक्टर, फिरोजाबाद द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

आज्ञा से,

सुरेश चन्द्रा
प्रमुख सचिव।

संख्या-325(1)/एक-1-2016-5(51)/2015 तद् दिनाँक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. आयुक्त आगरा मण्डल, आगरा ।
3. कलेक्टर, फिरोजाबाद के पत्र संख्या-516/भूमि0 व्यवस्था-5-पुनर्ग्रहण, दिनाँक 04.12.2015 तथा पत्र संख्या-878/भूमि0 व्यवस्था-5-पुनर्ग्रहण, दिनाँक 11.03.2016 के क्रम में।
4. राजस्व अनुभाग-5
5. गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(जय प्रकाश सगर)
विशेष सचिव।

shasnadesh.up.nic.in

shasnadesh.up.nic.in